न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 187/2017
किस्म मुकदमा – राजस्व वाद
दायर दिनांक – 27.09.2017
निर्णय दिनांक – 21.01.2025

अनवान

1. दिलीप कुमार पिता भंवरलाल श्रीमाली निवासी सवानिया तहसील मावली हाल निवासी तहसील नाथद्वारा राजसमन्द।

.....वादी

बनाम

1. कमला देवी पिता शंकरलाल श्रीमाली पत्नि भंवरलाल श्रीमाली निवासी निवासी तहसील नाथद्वारा राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब राजसमन्द तहसील राजसमन्द।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा तद्नुसार राजस्व अभिलेखो मे अंकन की आज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित
वकील वादी – श्री श्यामसुन्दर पालीवाल
वकील प्रतिवादी संख्या 1 – श्री प्रतीक भंडारी
प्रतिवादी संख्या 2 – पेरोकार

निर्णय

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कानादेव का गुडा तहसील राजसमन्द मे स्थित आ. नं. 174, 175, 176 कुल किता 3 का कुल रकबा 03–05 बीघा भूमियां शंकरलाल पिता रामलाल जी ब्राहम्ण निवासी कानादेव का गुडा के खातेदारी उपयोग उपभोग की रही, उन्होने उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादी को दिनांक 19.01.2011 को विक्रय कर आधिपत्य सिपूर्द कर दिया। माह मार्च 2011 में वादी को फोजदारी प्रकरण में कारावास हो गया और वादी वर्ष 2017 तक कारावास में रहा अभी कारावास से बाहर आया तो वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेखों की नकल निकलाई तो जाहिर आया कि शंकरलाल पिता रामलाल जी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के किये गये विक्रय अनुसार वादी का नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेखो में श्री शंकरलाल पिता रामलाल जी की मृत्युपरान्त दर्ज हो गई जबकि शंकरलाल जी ने अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित विक्रय पत्र से वादी को उक्त आराजियात विक्रय कर दी थी। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से राजस्व अभिलेखों में विकय पत्र अनुसार वादी का नाम दर्ज करा देने को कहा तो आनाकानी कर इन्कार हो गई तथा ऐसी जानकारी हुई है कि प्रतिवादी संख्या एक के नाम राजस्व अभिलेखो में अपना नाम अंकित होने के कारण वह इन आराजियात को किसी अन्य को विक्रय आदि द्वारा अंतरित करने को आमादा हो रही है। वादी के लिए अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराया जाना आवश्यक हो गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है बिना इसके के अधिकारो पर प्रतिकुल असर पडेगा वादी अपने हक अधिकारो से हेमशा के लिए वंचित हो जाएगा।

अतः वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निम्न प्रकार से डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी खातेदार कृषक होकर वादी के नाम खातेदारी हक से

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

राजस्व अभिलेखो में दर्ज किये जाने योग्य है। अतः वादग्रस्त आराजीयात में वादी का खातेदार कृषक की हैसीयत से दर्ज किया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आंशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात मे वादी के आधिपत्य व उपयोग उपभोग मे बाधा व दखलन्दाजी नहीं करे, जबरन इन भूमियों में प्रवेश नही करे, इन भूमियो की यथास्थिति बनाये रखे, इन भूमियो को किसी अन्य को विक्रय आदि अन्तकरण नहीं करे, उक्त कार्य अन्य किसी से भी नही करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी सं. 1 की और से अधिवक्ता श्री प्रतीक भण्डारी उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज उपस्थित।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 23.07.2024 को स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र अनुसार वादी के नाम अंकित किया जावे तो एतराज नही है। वादी द्वारा जो घोषणा की दाद चाही वह दिलाई जावे तो उसमे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है इनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किये जाने से प्रकरण मे तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण सीधे ही उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी का कथन है कि शंकरलाल पिता रामलाल जी ब्राहम्ण निवासी कानादेव का गुडा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को दिनांक 19.01.2011 को विक्रय कर आधिपत्य सिपूर्द कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम पर घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने भी स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादी के नाम पर खातेदारी दर्ज किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित है। अतः वादी का यह वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कानादेव का गुडा पटवार हल्का कानादेव का गुडा तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नम्बर 174, 175, 176 कुल किता 3 का कुल रकबा 03–05 बीघा भूमियों में वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार राजसमन्द के नाम तहरीर जारी की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजेश गुप्ता R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

संख्याक नं. 1

मूल वाद के प्रारम्भिक डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)

मुकदमा नम्बर – 187/2017

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद

दायर दिनांक – 27.09.2017

निर्णय दिनांक – 21.01.25

अनवान

1. दिलीप कुमार पिता भंवरलाल श्रीमाली निवासी सवानिया तहसील मावली हाल निवासी तहसील नाथद्वारा राजसमन्द।

.....**वादी**

बनाम

1. कमला देवी पिता शंकरलाल श्रीमाली पत्नि भंवरलाल श्रीमाली निवासी निवासी तहसील नाथद्वारा राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब राजसमन्द तहसील राजसमन्द।

.....**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा तद्नुसार राजस्व अभिलेखो मे अंकन की आज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

वकील वादी – श्री श्यामसुन्दर पालीवाल

वकील प्रतिवादी संख्या 1 – श्री प्रतीक भंडारी

प्रतिवादी संख्या 2 – पेरोकार

उक्त प्रकरण दिनांक 21.01.2025 को मेरे समक्ष पेश हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कानादेव का गुडा पटवार हल्का कानादेव का गुडा तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नम्बर 174, 175, 176 कुल किता 3 का कुल रकबा 03–05 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कमलादेवी पिता शंकरलाल श्रीमाली ब्राहम्ण के स्थान पर वादी दिलीप कुमार पिता भंवरलाल श्रीमाली को खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार राजसमन्द के नाम तहरीर जारी की जावे।

(बृजेश गुप्ता R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते राजसमन्द

उक्त डिक्री पर्चा आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

वाद के खर्चे

वादी	रू.	आ.	पा.	प्रतिवादी	रू.	आ.	पा.
1. वादपत्र के स्टाम्प	5			1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	1		
2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	1			2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0		
3. प्रदर्शो के स्टाम्प	0			3. प्लीडर की फीस	0		
4. ..... रूपय पर प्लीडर की फीस	0			4 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0			5 आदेशिका की तामील	0		
6. कमिश्नर की फीस	0			6 कमिश्नर की फीस	0		
7. आदेशिका की तामील	2						
योग	8			योग	1		

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner